



2026:AHC:178629

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 29858 वर्ष 2026

काले खान @ मोहम्मद फैज़ान शाह

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : अरविंद कुमार मिश्रा

विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 70

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आज न्यायालय में अनुपूरक शपथपत्र दाखिल किया है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया गया।

3. प्रस्तुत आवेदन, अपराध संख्या 125 सन् 2026, धारा 310(2), 317(3) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, थाना इस्लामनगर, जनपद बदायूं में पंजीकृत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है तथा किसी दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से कोई संबंध नहीं है और उसने अभियोजन द्वारा आरोपित कोई अपराध कारित नहीं किया है। आगे प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है। विवेचना के दौरान सह-अभियुक्त सद्दू के अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इकबालिया कथन में उसका नाम प्रकाश में आया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि घटना 16.05.2026 को घटित हुई तथा उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट 17.05.2026 को दर्ज की गई, किंतु प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में हुए विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आवेदक के कब्जे से कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। आवेदक का तीन मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसका स्पष्टीकरण जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल अनुपूरक शपथपत्र के अनुच्छेद 2 में किया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सह-अभियुक्त आस मोहम्मद, सद्दू तथा नदीम @ साकिर को इस पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 29699 वर्ष 2026 में पारित दिनांक 21 अगस्त, 2026 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक 17.06.2026 से जेल में निरुद्ध है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक यह वचन देता है कि यदि उसे जमानत की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया कि न्यायालय में मामलों के भारी लंबित रहने के कारण विचारण के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

5. जमानत की प्रार्थना का विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा पुरजोर विरोध किया गया।

6. अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, दंड की गंभीरता तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का मत है कि आवेदक विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

7. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8. आवेदक- काले खान @ मोहम्मद फैज़ान शाह को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र निष्पादित करने तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।

(iv) आवेदक ऐसे किसी अपराध को कारित नहीं करेगा, जो उस अपराध के समान हो जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है अथवा जिसके कारित किए जाने का उस पर संदेह है।

(v) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

9. यह भी निर्देशित किया जाता है कि जमानतदारों की पहचान, स्थिति एवं निवास के प्रमाण को स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाए।

10. उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय को जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण के प्रयोजन से पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

24 अगस्त, 2026

वी.के. उपाध्याय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।